संख्या - 004/वी.जी.एल/087
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 06.07.2009

परिपत्र संख्या 16/7/09

विषय: सरकारी कर्मचारियों द्वारा विदेश यात्राएं ।

उपर्युक्त विषय पर, आयोग के दिनांक 25.10.2004, 08.12.2004 एवं 27.09.2005 के परिपत्र संख्या 004/वीजीएल/087 का संदर्भ लें ।

2. आयोग ने दिनांक 25.10.2004 के अपने परिपत्र द्वारा सभी संगठनों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को निदेश दिया था कि अपने संगठनों के उन कर्मचारियों की सूची, जिन्होंने गत कैलेण्डर वर्ष के दौरान **"निजी विदेश दौरे"** किए थे, प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंत तक आयोग को प्रस्तुत करें ।

3. आयोग में इस मामले की पुन: जांच की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि अब से, प्रत्येक संगठन के कर्मचारियों के संबंध में संबंधित सूचना तथा डाटा बैंक, आयोग के उपर्युक्त कार्यालय आदेश द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा रखा जाएगा ।

4. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंत तक मुख्य सतर्कता अधिकारियों को अनिवार्य रूप से आयोग को सूचित करना होगा कि उनके पास सभी विवरणों सहित अद्यतन सूचना उपलब्ध है । जब भी आवश्यकता होगी संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा अल्पावधि नोटिस में आयोग को ऐसी सूचना उपलब्ध करानी होगी ।

5. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी सख्ती से पालन किए जाने हेतु नोट करें ।

ह0/-
(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी